राज्य अभियोजन अधिकारी सेवा संघ उ0प्र0

(उ0प्र0 शासन के शा0सं0 924/आठ–9–31/179/78 वि. 27.2.82 द्वारा मान्यता प्राप्त)
कमरा नं0 15, अभियोजन कार्यालय, कलेक्ट्रेट, लखनऊ

अध्यक्ष
अवधेश कुमार सिंह
9454456321

महासचिव
विजय कुमार
9454456462

कोषाध्यक्ष
अमित कुमार यादव
9454456968

सचिव
सुनील कुमार संगम

उपाध्यक्ष
विक्रम यादव (लखनऊ जोन)
विजय सिंह (वाराणसी जोन)
राकेश कुमार मौर्या (बरेली जोन)
अशोक कुमार त्रिपाठी (आगरा जोन)

संयुक्त सचिव
विवेक श्रीवास्तव (लखनऊ जोन)
वनीत कुमार त्रिपाठी (वाराणसी जोन)
कमलेन्द्र कुमार विमल (बरेली जोन)
नीतू वर्मा (आगरा जोन)

उपसचिव
सुशील पाण्डेय (लखनऊ जोन)
नमन प्रसाद अमन (वाराणसी जोन)
राजेन्द्र कुमार (बरेली जोन)
प्रशांत कुमार मिश्रा (आगरा जोन)

पत्रांक ....मेमो.......... दिनांक ....25.10.18....

सेवा में,

प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विषयः अभियोजन संवर्ग के पदवृद्धि की पत्रावली पर सकारात्मक निर्णय हेतु निवेदन।

महोदय,

सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में अभियोजन संवर्ग के अभियोजकों द्वारा समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय, विशेष सत्र न्यायालय, अपर सत्र न्यायालयों में राज्य की तरफ से अभियोजन कार्य सम्पादित किया जा रहा है। विगत 10-15 वर्षों में दण्ड न्यायालयों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है परन्तु अभियोजकों की संख्या पिछले 27 वर्षों से यथावत बनी हुई है। इसी कारण वर्तमान में प्रत्येक जनपद के ए0डी0जे0 प्रथम कोर्ट, ए0डी0जे0 द्वितीय कोर्ट, विशेष सत्र न्यायालय गैगेस्टर, विशेष सत्र न्यायालय एस0सी0 एस0टी0 में अभियोजन संवर्ग की अधिकारिता के बाद भी अभियोजकों की सापेक्ष संख्या कम होने के कारण सम्यक अभियोजन कार्य सम्पादित नहीं हो पा रहा है जिससे अपराधियों को न्यायालय से दण्डित कराने के राज्य के कर्त्तव्य में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। यह भी उल्लिखित है कि प्रत्येक जनपद के विशेष सत्र न्यायालय (पास्को एक्ट) में अभियोजन कार्य हमारे संवर्ग के अभियोजकों से कराये जाने का निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। संख्या कम होने के कारण उसका भी अनुपालन नहीं हो पा रहा है। इन्हीं अपरिहार्यता के दृष्टिगत मा0 महानिदेशक, अभियोजन उत्तर प्रदेश तथा मा0 प्रमुख सचिव गृह महोदय द्वारा तत्काल अभियोजन संवर्ग में पद परिवर्तन हेतु प्रस्ताव की संस्तुति की गयी है, जो प्रक्रियाधीन है।

अतः महोदय से सादर निवेदन है कि अभियोजन संवर्ग में परिवर्तन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव की अपरिहार्यता के दृष्टिगत सकारात्मक दृष्टि से परिणाति कराने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

भवदीय,

(विजय कुमार)
महासचिव
राज्य अभियोजन अधिकारी,
सेवा संघ, उ0प्र0।

संलग्नकः
1. विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की छायाप्रति।
2. पास्को रिपोर्ट के सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देश की छायाप्रति।

Scanned by CamScanner